

पत्रांक—१८८८ / १२-१ :देहरादून: दिनांक: २९ फरवरी, २०२४

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केंद्र),
 भारत सरकार,
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
 क्षेत्रीय कार्यालय,
 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद बागेश्वर में नरगोली—सिमायल—भण्डारीसेरा—सलिया—जन्यूडाबांस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 हेक्टेएर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
 (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/16904/2015)

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर—मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक—०८वी/यू०सी०पी०/०६/११/२०१९/एफ०सी०/१११९ दिनांक:—०९.०९.२०२०

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आव्यावन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2009/12-1(2) दिनांक 09.02.2024 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:—

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आव्यावन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.8684 हेक्टेएर गैर वानिकी भूमि ग्राम किलपारा सिविल खसरा नं० १ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में वन संरक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 09.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.8684 हेक्टेएर ग्राम किलपारा सिविल खसरा नं० १ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा एवं प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा। (संलग्नक—१)

	<p>जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बार एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।</p>	<p>तक रख-रखाव हेतु ₹0 16,41,547.00 मात्र धनराशि का भुगतान आरटी0जी0एस के माध्यम से UTR No. SBIN308217601145 दिनांक 24.03.2021 द्वारा कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। (संलग्नक-1)</p> <p>उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.8684 है0 ग्राम किलपारा सिविल भूमि को जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति व खसरा खतौनी की नकल की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2)</p>
	<p>(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त ₹040 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>	<p>(ग) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र संलग्न है। (संलग्नक-3)</p>
4	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या-202 / 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1 / 1998-एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2 / 2006-एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 / 2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.4342 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 04 (क) के अनुपालन में एन०पी०बी० की देय धनराशि ₹0 15,99,269.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से कैम्पा कोष के कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)</p> <p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)</p>
5	<p>प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 167 trees से अधिक नहीं होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।</p>
6	<p>State Govt. will submit the VLC Proceeding of village Simayal.</p>	<p>उक्त शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा VLC Proceeding of village Simayal की बैठक की सूचना प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।</p>

	11-42 / 2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्द्धिश्ट रथलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव यक रूप से तथ्य सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा रथान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण रथलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(आर०क० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड/द्वे हरादून।

संख्या—१८४३ / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर।

Received 20/1/2018
Rishabh Singh
Utkal Bloom Project
B.G.J.

(आर०क० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड/द्वे हरादून।

G